

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-३, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर



क्रमांक:-एफ ४१(४१) ग्रावि/नरेगा/बीएनआरजीएसके/नाम परिवर्तन/2014/00136

जयपुर, दिनांक: ०३/०१/१५

### आदेश

राज्य में जिला मुख्यालयों पर जन सुविधा केन्द्र, पंचायत समिति मुख्यालयों एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्मित भवनों का नाम परिवर्तित कर अटल सेवा केन्द्र किये जाने के निर्देश समसंख्यक आदेश दिनांक २३.१२.२०१४ द्वारा जारी किये गये थे।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा एस.वी. सिविल रिट पिटिशन नं० ६९३०/२०१५ में दिये गये निर्णय दिनांक १९.०१.२०१८ की अनुपालना में समसंख्यक आदेश दिनांक २३.१२.२०१४ को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

  
भवदीय  
(राजेश्वर सिंह)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महामहिम, राज्यपाल महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. संयुक्त सचिव, (एमजीनरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
11. निजी सचिव, महानिदेशक, आईजीपीआर एण्ड जीवीएस, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
13. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
14. स्टेट मिशन डायरेक्टर एलपी एसएचजी।

15. निदेशक, स्वच्छता।
16. निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
17. आयुक्त, मिड डे मील।
18. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद, राजस्थान।
19. समस्त जिला कलक्टर, एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, राजस्थान।
20. समस्त प्रधान, पंचायत समिति।
21. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास।
22. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.- ।।)/उप शासन सचिव (प्रशा.- ।), परावि।
23. उपायुक्त (प्रशिक्षण/विधि/जाँच) पंरावि।
24. परियोजना निदेशक, (ईजीएस/एसएपी/एलपी एण्ड एसएचजी/मो. एवं मूँ) ग्रावि।
25. अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस प्रथम/द्वितीय, राजस्थान।
26. विल्तीय सलाहकार, पंचायतीराज विभाग/ग्रामीण विकास/नरेगा, जयपुर।
27. निदेशक (सीसीडीयू) पंरावि।
28. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस/प्रोजेक्ट/अभियान्त्रिकी), ग्रावि एवं पंरावि।
29. समस्त जिला प्रभारी, मुख्यालय, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
30. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, राजस्थान।
31. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
32. समस्त मुख्य आयोजना अधिकारी, राजस्थान।
33. समस्त अधिशाषी अभियन्ता (नरेगा/अभियान्त्रिकी) जिला परिषद, राजस्थान।
34. समस्त विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, राजस्थान



(पी.सी. किशन)  
आयुक्त, ईजीएस